



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार 5 जनवरी, 2018 ई0

पौष, 15, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 12 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2017

देहरादून, 05 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 को दिनांक 03 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01 वर्ष 2018 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01 वर्ष 2018}

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण आदि के लिए एक उचित, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी स्थानान्तरण प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

- | | | |
|--|-----------|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ तथा लागू होना | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
(3) यह अधिनियम अखिल भारतीय सेवा, राज्य सिविल सेवा तथा राज्य पुलिस सेवा, उच्च न्यायालय के नियंत्रणाधीन समस्त सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राज्याधीन सेवाओं के लिए लागू होगी और इसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निगम, परिषद् तथा स्थानीय निकायों पर भी लागू कर सकेगी। |
| अध्यारोही प्रभाव | 2. | यह अधिनियम इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य सेवा नियमों में, किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगी। |
| परिभाषाएं | 3. | जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—
(क) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;
(ख) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(ग) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(घ) 'गम्भीर रोगी' से गम्भीर रोग से ग्रस्त कार्मिक की पति/पत्नी एवं परिवार (सिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं माता-पिता) और गम्भीर रोगों के अन्तर्गत कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स/एचआईवी0 (पोजिटिव), हृदय रोग (बाय पास सर्जरी अथवा एंजियोप्लास्ट्री किया गया हो), किडनी रोग (दोनों किडनी फेल हो जाने से डायलिसिस पर निर्भर, किडनी ट्रांसप्लान्ट किया गया हो अथवा एक किडनी |

निकाली गयी हो), ट्यूबर कुलोसिस (दोनों फेफड़े संक्रमित हो अथवा एक फेफड़ा पूर्णतः खराब हो), ट्यूबर कुलोसिस (दोनों फेफड़े, संक्रमित हो अथवा एक फेफड़ा पूर्णतः खराब हो), स्पाइन की हड्डी टूटने सार्स (थर्ड स्टेज), मिर्गी, मानसिक रोग अथवा कोई अन्य ऐसा रोग, जिसके कारण कार्मिक की किसी क्षेत्र विशेष में तैनाती उचित न होने की संस्तुति राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई हो, और जिसका अनुमोदन अधिनियम की धारा 27 के अधीन गठित समिति द्वारा किया गया हो, सम्मिलित हैं;

(ड) 'विकलांगता' से ऐसी विकलांगता अभिप्रेत है, जिसमें पूर्ण अन्धापन, दोनों पांव रहित, एक अपूर्ण पांव, लकवा ग्रस्त (एक हाथ या एक पांव) अथवा प्रतिशत विकलांगता के सन्दर्भ में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता सम्मिलित है; सम्मिलित हैं;

(च) 'सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र' से गम्भीर रोग के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, राज्य मेडिकल बोर्ड, राज्य के अधिकृत मेडिकल संस्थान अथवा राज्य चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य/जनपद स्तर के निर्दिष्ट प्राधिकारी/समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा विकलांगता के लिए सम्बन्धित अधिनियम में दिए गए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(छ) 'स्वस्थता प्रमाण-पत्र' से गम्भीर रोग अथवा विकलांगता की श्रेणी के कार्मिकों द्वारा उपचाराधीन होने/विकलांगता के बावजूद अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त होने विषयक मेडिकल बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(ज) 'वरिष्ठ कार्मिक' से प्रत्येक वर्ष की आधार तिथि 31 मई को जहां सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष वहां 55 वर्ष तथा जहां सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष वहां 60 वर्ष की आयु अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले कार्मिक अभिप्रेत हैं;

(झ) 'सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र' से इस अधिनियम के अधीन जनपदवार परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 के अनुसार उदाहरणार्थ चिन्हित सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र अभिप्रेत है;

		(ज) 'तैनाती स्थान' से कार्मिक के स्थानान्तरण हेतु विचार के समय उसकी तैनाती का स्थान/स्थल अभिप्रेत है।
कार्मिकों की पदस्थापना हेतु वर्गीकरण	4.	कार्मिकों की पदस्थापना हेतु निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा; अर्थात् :- (1) ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना जनपद मुख्यालय से ग्राम स्तर तक किए जाने की व्यवस्था है; (2) ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना मण्डल स्तर तक किए जाने की व्यवस्था है; (3) ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना राज्य स्तरीय होती है तथा उनकी पद स्थापना शासन तथा विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है।
सुगम एवं दुर्गम स्थलों का चिन्हांकन और उसका प्रकटीकरण	5.	(1) प्रत्येक विभाग का कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, यथास्थिति, धारा 4 में उपबन्धित वर्गीकरण के अनुसार में सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्य स्थल को स्पष्ट करते हुए चिन्हांकन की कार्यवाही करेगा और उसके प्रकटीकरण के लिए उत्तराखण्ड की वेबसाइट में प्रदर्शन सहित ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा, जैसा प्रकाशन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक हो। (2) ऐसे विभाग, जिनके सभी कार्यस्थल अधिनियम के परिशिष्टों में निर्धारित मानकानुसार अथवा उपर्युक्त उपधारा (1) के अनुसार अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मानकों का पुनर्निर्धारण कर सकेंगे।
वार्षिक स्थानान्तरण के प्रकार	6.	वार्षिक स्थानान्तरण के निम्नलिखित प्रकार होंगे; अर्थात् :- (क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण; (ख) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण; और (ग) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण।
सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के	7.	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के निम्न मानक होंगे; अर्थात् :- (क) ऐसे कार्मिक, जो सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 04 वर्ष या उससे

मानक

अधिक अवधि से तैनात हैं, दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं धारा 10 के अधीन संभावित रिक्तियों की कुल संख्या की सीमा के प्रतिबंधों के अधीन अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किये जायेंगे;

(ख) ऐसे कार्मिक, जो सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 04 वर्ष से कम अवधि से कार्यरत हैं किन्तु उनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, उन्हें भी सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उपरोक्तानुसार रिक्तियों/पदों की उपलब्धता के प्रतिबंधों के अधीन अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किये जायेंगे;

परन्तु यह कि सुगम क्षेत्र में कुल सेवाकाल की गणना हेतु एतद्विषयक धारा 3 में निर्दिष्ट परिशिष्टों के अनुसार सुगम क्षेत्र की परिभाषा के परन्तुक का भी संज्ञान लिया जायेगा;

(ग) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किए जाने वाले कार्मिकों को दुर्गम क्षेत्र में तैनाती सम्बन्धी न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर उन्हें अनिवार्य रूप से पुनः सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जायेगा और उनके दुर्गम स्थान से अवमुक्त होने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख उनके स्थानान्तरण आदेश में भी किया जायेगा;

(घ) निम्न श्रेणियों में आने वाले कार्मिकों को सुगम श्रेणी से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट होगी; अर्थात् :-

(एक) वरिष्ठ कार्मिक,

(दो) ऐसे कार्मिक, जो दुर्गम क्षेत्र में पूर्व में ही न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों; और

(तीन) धारा 3 के अधीन गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांगता की श्रेणी में आने वाले कार्मिक, जो कि सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

(चार) ऐसे पति-पत्नी जिनका एकलौता पुत्र/पुत्री विकलांगता की परिभाषा में सम्मिलित हों।

(पांच) सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति/पत्नी।

स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा

8.

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी; अर्थात् :-

सुगम स्थान से दुर्गम स्थान में अनिवार्य स्थानान्तरण सम्बन्धित

संवर्ग में दुर्गम क्षेत्र में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक किया जायेगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की गणना सम्पूर्ण सेवा अवधि में सुगम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा की अवधि के क्रम में की जायेगी; अर्थात् ऐसे कार्मिक, जिनकी सुगम क्षेत्र में तैनाती की अवधि 04 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जिनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी हो तथा जो "छूट" की श्रेणी में नहीं आते हों, उन कार्मिकों को उनकी सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण अवधि की तैनाती के अनुसार अवरोही क्रम (Descending Order) में रखते हुए सम्बन्धित संवर्ग के दुर्गम क्षेत्र में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक ही स्थानान्तरण हेतु चिन्हित किया जायेगा।

सुगम क्षेत्र से
दुर्गम क्षेत्र में
अनिवार्य
स्थानान्तरण के
लिए पात्र कार्मिकों
की सूची तैयार
करना एवं विकल्प
मांगा जाना

9.

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सीमा में पात्र कार्मिकों की सूची तैयार की जायेगी। सूची तैयार होने के पश्चात् ऐसी सूची, दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों तथा सूची के कार्मिकों की संभावित रिक्तियों की सूची प्रकाशित/परिचालित करते हुए पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 दुर्गम स्थानों, जहां वे तैनाती के इच्छुक हों, के लिए विकल्प मांगे जायेंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तथा रिक्तियों को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

दुर्गम क्षेत्र से
सुगम
क्षेत्र में अनिवार्य
स्थानान्तरण के
मानक

10.

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के निम्न मानक होंगे; अर्थात् :-

- (क) दुर्गम क्षेत्र में अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर 03 वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात कार्मिकों का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण किया जायेगा ;
- (ख) यदि कोई कार्मिक दुर्गम स्थान पर 03 वर्ष से कम अवधि से कार्यरत है किन्तु उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, तो वह भी दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्यतः स्थानान्तरित किए जाएंगे। ऐसी गणना करने के लिए धारा 3 में निर्दिष्ट परिशिष्टों में दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा के परन्तुक का भी संज्ञान लिया जायेगा :

परन्तु यह कि इस अवधि की गणना करते समय केवल वही अवधि ली जायेगी, जिसमें कार्मिक वास्तविक रूप में दुर्गम स्थान पर कार्यरत रहा हो। यदि वह सुगम स्थान पर सम्बद्ध रहा हो तो सम्बद्धता अवधि तथा एक वर्ष में एक माह से अधिक अवधि के लिए अवकाश पर रहा हो तो इस अवधि को दुर्गम स्थान की तैनाती की अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा

11.

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी; अर्थात् :-

(क) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण सम्बन्धित संवर्ग में सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं धारा 7 के अधीन संभावित रिक्तियों की कुल संख्या की सीमा तक ही किया जायेगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की गणना सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा की अवधि के क्रम में की जायेगी; अर्थात् :-

(ख) ऐसे कार्मिकों को, जो दुर्गम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 03 वर्ष की अधिक अवधि से कार्यरत है अथवा सम्पूर्ण सेवा अवधि में उनकी दुर्गम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, को उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र की तैनाती की कुल अवधि के अनुसार अवरोही क्रम (Descending Order) में रखते हुए संवर्ग में उपरोक्तानुसार सुगम क्षेत्र में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक ही अनिवार्य स्थानान्तरण किये जायेंगे।

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना एवं विकल्प मांगा जाना

12.

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की एक सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची, सुगम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों तथा कार्मिकों की सम्भावित रिक्तियों को प्रकाशित/परिचालित करते हुए स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तथा रिक्तियों को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण 13.

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए निम्नवत् प्रक्रिया अपनाई जायेगी; अर्थात् :-

- (1) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए कोई भी कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र होगा।
- (2) दुर्गम कार्यस्थल में न्यूनतम 03 वर्ष अथवा सम्पूर्ण सेवाकाल में दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के आधार पर सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में ही स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकेगा, किन्तु स्थानान्तरण हेतु इच्छुक स्थान उसके गृह विकास खण्ड के बाहर हो और डीव पूर्व की तैनाती के स्थल पर ऐसे कार्मिक की भविष्य में पुनः तैनाती 06 वर्ष से पूर्व के अन्तराल पर नहीं की जायेगी।
- (3) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनाती हेतु इच्छुक हों तो वे तदनुसार सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक स्थान पर तैनाती हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे। किन्तु ऐसी तैनाती के उपरांत जब भी पति/पत्नी किसी कार्य स्थल पर 05/03 वर्ष अथवा सेवाकाल कुल 10 वर्ष के सेवाकाल सम्बंधी मानक पूर्ण करेंगे, तब पति-पत्नी, यथा लागू, समान्य स्थानान्तरण के पात्र हो जायेंगे।
- (4) कार्मिक स्वयं अपनी अथवा पति/पत्नी (यथा लागू) धारा 3 के खण्ड (घ) में यथानिर्दिष्ट गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र/स्थान में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने हेतु पात्र होंगे;
- (5) मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा ऐसे रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतः लाचार हैं तथा देखभाल/नित्यक्रिया आदि के लिए पूर्णतः माता-पिता पर निर्भर हैं, ऐसी दशा में उनके माता-पिता मेडिकल बोर्ड के एतद्विषयक प्रमाण-पत्र के आधार पर अपने बच्चे की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था के लिए दुर्गम से सुगम अथवा सुगम से दुर्गम क्षेत्र/स्थान में स्थानान्तरण के अनुरोध करने हेतु पात्र होंगे; तथा
- (6) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा तथा वरिष्ठ कार्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में

स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी:— अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन धारा 12 के अधीन प्रकाशित रिक्तियों के सापेक्ष ही किया जा सकेगा और भरे हुए पदों/कार्यस्थलों के लिए अनुरोध अनुमन्य न होगा।

- | | | |
|---|------------|--|
| अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन-पत्र मांगा जाना | 14. | उपलब्ध रिक्तियों तथा सम्भावित रिक्तियों को सम्बन्धित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए कार्मिकों से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प के साथ आवेदन-पत्र मांगे जाएंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा। |
| स्थानान्तरण हेतु गणना के लिए नियत तिथि का निर्धारण | 15. | <p>(1) स्थानान्तरण के उद्देश्य से अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष की 31 मई की तिथि के आधार पर की जायेगी।</p> <p>(2) ऐसे सभी कार्यालय/अधिष्ठान, जहां पटल/कार्यभार परिवर्तन के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है वहां, पटल/कार्यभार का परिवर्तन/स्थानान्तरण 05 वर्ष के अन्तराल पर किये जा सकेंगे।</p> |
| स्थानान्तरण समिति का गठन एवं समिति के दायित्व | 16. | <p>(1) कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने हेतु शासन स्तर पर, विभागाध्यक्ष, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग द्वारा स्थायी स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त एक अधिकारी दूसरे विभाग के भी नामित किए जायेंगे। शासन स्तर पर वन एवं अवस्थापना विकास आयुक्त शाखा, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा तथा समाज कल्याण आयुक्त शाखा को छोड़कर अन्य विभागों में स्थानान्तरण समिति में एक अधिकारी कार्मिक विभाग द्वारा नामित किया जायेगा। उपर्युक्त तीनों शाखाओं के अधीन विभागों में स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण समिति में शाखा के किसी अन्य विभाग के अधिकारी का नामांकन सम्बन्धित शाखा प्रमुख द्वारा किया जायेगा।</p> <p>(2) जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर ही स्थानान्तरण हेतु बनाई गई प्रत्येक समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी होंगे।</p> <p>(3) वार्षिक स्थानान्तरण हेतु प्राप्त सभी प्रस्ताव, आवेदन पत्र एवं विकल्प तथा</p> |

दुर्गम एवं सुगम क्षेत्रों की रिक्तियों के विवरण सम्बन्धित विभाग द्वारा इस हेतु गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जायेंगे। उपरोक्त धारा 9, 12 एवं 13 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सत्यापित सूची भी स्थानान्तरण समिति के समक्ष रखी जायेगी।

- (4) समिति स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले प्रत्येक कार्मिक, जिसका विवरण समिति के समक्ष रखा गया है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम में दिये गये उपबन्धों के आधार पर विचार करके कार्यवृत्त तैयार करेगी, जिसमें स्थानान्तरित होने वाले कार्मिकों को रिक्ति आवंटित होने/करने का आधार यथा 'विकल्प', 'स्वयं के अनुरोध', 'चिकित्सा', 'विकलांगता', 'वरिष्ठ कार्मिक' आदि स्पष्टतः अंकित किया जायेगा। समिति अपने कार्यवृत्त में एक अलग सूची में उन कार्मिकों के सम्बन्ध में भी कारण सहित उल्लेख करेगी, जिनका स्थानान्तरण अधिनियम के अनुसार संस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सका है।
- (5) स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुसार स्थानान्तरण आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए जायेंगे।

स्थानान्तरण
समिति
द्वारा स्थानान्तरण
प्रस्तावों पर विचार
किया जाना

17. (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण के प्रस्तावों पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा निम्न क्रमानुसार विचार किया जाएगा :-

(क) सुगम स्थान से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण :

स्थानान्तरण समिति द्वारा सर्वप्रथम सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा; अर्थात् -

सर्वप्रथम स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण सेवा अवधि में सबसे अधिक अवधि व्यतीत करने वाले कार्मिक से प्रारम्भ किये जायेंगे और दुर्गम क्षेत्र की रिक्ति के लिए कार्मिक द्वारा दिये गये विकल्प को स्वीकार किया जायेगा; अर्थात् -

सम्पूर्ण सेवा अवधि में सुगम स्थान पर तैनात रहे सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम (Descending Order) में एक-एक करके कार्मिकों पर विचार किया जायेगा और विकल्प के अनुसार उपलब्ध रिक्ति उन्हें आवंटित की जायेगी ;

परन्तु यह कि यदि स्थानान्तरण हेतु चिन्हित कार्मिकों में से एक

से अधिक कार्मिकों ने दुर्गम क्षेत्र की चिन्हित किसी रिक्ति विशेष हेतु समान प्राथमिकता क्रम में विकल्प दिया है तो ऐसी रिक्ति विकल्प देने वाले कार्मिकों में से ऐसे कार्मिक को आवंटित की जायेगी, जिसने सुगम क्षेत्र में सबसे कम अवधि की सेवा की हो ;

परन्तु यह और कि यदि उक्तानुसार विचार करने के पश्चात् भी कतिपय ऐसे कार्मिक अवशेष रहते हैं, जिन्हें उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार इच्छित स्थान प्राप्त नहीं हो सका है अथवा ऐसा कोई कार्मिक है, जिसने विकल्प नहीं दिया है तो स्थानान्तरण समिति द्वारा ऐसे अवशेष कार्मिकों तथा अवशेष उपलब्ध रिक्तियों की सूची उनके मूल प्रकाशन/चिन्हीकरण के क्रमानुसार तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक कार्मिक को सूची में उसके क्रमानुसार रिक्तियों की सूची में समान क्रम में अंकित रिक्ति आवंटित कर दी जायेगी।

(ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण :-

खण्ड (क) के अनिवार्य स्थानान्तरण के पश्चात् अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण समिति द्वारा निम्नलिखित क्रम में विचार किया जायेगा :-

(एक) गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी (यथा लागू) की गंभीर रोगग्रस्तता/ विकलांगता के आधार पर अनुरोध;

(दो) मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं लाचार बच्चों के माता पिता द्वारा अनुरोध ;

(तीन) सेवारत पति-पत्नी जिनका इकलौता पुत्र/पुत्री विकलांग हो;

(चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध;

(पांच) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध;

(छः) दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध;

(सात) अन्त में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध;

(ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण :-

स्थानान्तरण समिति द्वारा खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में उल्लिखित स्थानान्तरण पर विचार करने के पश्चात् दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण को निम्नवत् निस्तारित किया जायेगा :-

(एक) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा के अनुसार अधिकतम अवधि के क्रम में सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम (Descending Order) में सूचीबद्ध किया जायेगा;

(दो) उपर्युक्त के अनुसार तैयार की गई सूची में से उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी को रिक्ति की स्थिति में ऐच्छिक स्थान आबंटित किया जायेगा;

(तीन) सूची में से दुर्गम स्थान पर तैनात रहे सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार ऐच्छिक स्थान आबंटित किया जायेगा। इसी क्रम में अन्य कार्मिकों को भी अवरोही क्रम (Descending Order) में ऐच्छिक स्थान रिक्ति उपलब्ध होने पर आबंटित किया जायेगा ;

परन्तु यह कि यदि सुगम क्षेत्र की किसी रिक्ति विशेष के लिए एक से अधिक कार्मिकों द्वारा समान प्राथमिकता क्रम में विकल्प दिया जाता है तो ऐसी रिक्ति ऐसे कार्मिक को आबंटित की जायेगी, जिसने दुर्गम क्षेत्र में सबसे अधिक सेवा की हो ;

परन्तु यह और कि यदि उपरोक्तानुसार विचार करने के पश्चात भी कतिपय ऐसे कार्मिक अवशेष रहते हैं, जिन्हें उनके द्वारा दिये विकल्प के अनुसार रिक्ति स्थान उपलब्ध न हो सके, तो स्थानान्तरण समिति द्वारा अवशेष कार्मिकों तथा अवशेष उपलब्ध रिक्तियों की सूची उनके मूल प्रकाशन/चिन्हीकरण के क्रमानुसार तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक कार्मिक को सूची में उसके क्रमानुसार रिक्तियों की सूची में समान क्रम में अंकित रिक्ति आबंटित कर दी जायेगी।

(2) स्थानान्तरण समिति कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण हेतु दिए गए विकल्पों पर विचार करते समय निम्नलिखित तथ्यों पर भी विचार करते हुए निर्णय लेगी:-

- (क) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा;
- (ख) समूह 'ग' के लिपिकीय एवं गैर-प्रशासकीय कार्मिकों तथा समूह 'घ' के कार्मिकों को गृह स्थान को छोड़कर उनके गृह जनपद में ही तैनात किया जा सकेगा। "गृह जनपद" से ऐसा गाँव/हल्का/तहसील आदि अभिप्रेत है, जिसका वह मूल निवासी है;
- (ग) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सुगम से सुगम में नहीं किया जायेगा तथा प्रशासनिक आधार पर हटाये गये कार्मिकों को किसी भी दशा में पुनः उसी जनपद/स्थान पर 05 वर्ष तक तैनात नहीं किया जायेगा;
- (घ) सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से पद पर बने रहने अथवा 02 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, तक की अवधि में नहीं किये जा सकेंगे, परन्तु इस अधिनियम के शेष प्राविधान उन पर भी यथावत लागू होंगे।
- (ङ.) स्थानान्तरण संवर्गीय पद/ कार्यस्थल के लिए ही किये जायेंगे तथा संवर्ग के बाहर (यथा जनपदीय/मण्डलीय संवर्ग के संदर्भ में अन्तर्जनपदीय/ अन्तर्मण्डलीय) के पद/ कार्यस्थल के सापेक्ष नहीं किये जायेंगे;

परन्तु यह कि दो कार्मिकों के मध्य विवाह के आधार पर किसी एक कार्मिक का ऐच्छिक संवर्ग परिवर्तन/संवर्ग के बाहर स्थानान्तरण अथवा विकास योजनाओं हेतु परिसम्पत्ति अधिग्रहण/दैवीय आपदा के कारण शासन द्वारा अन्यत्र विस्थापित किए गए कार्मिक का ऐच्छिक संवर्ग परिवर्तन/ संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण इस प्रतिबंध के अधीन अनुमन्य होगा कि परिवर्तित/नये संवर्ग में कार्मिक को कनिष्ठतम माना जायेगा और ऐसे परिवर्तन हेतु धारा 27 में गठित समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

नियुक्ति/पदोन्नति 18.
तथा अन्य

वार्षिक/सामान्य स्थानान्तरण के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थितियों में भी नियुक्ति/पदोन्नति तथा अन्य स्थानान्तरणों पर तैनाती की प्रक्रिया

**स्थानान्तरण पर
तैनाती की प्रक्रिया**

निम्नवत् होगी :-

- (1) प्रथम नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती की जायेगी;
- (2) पदोन्नति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती धारा 7 के खण्ड (घ) के प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी ;

परन्तु यह कि यदि दुर्गम क्षेत्र में पदोन्नति का पद विद्यमान/रिक्त नहीं है तो पदोन्नति के बाद सुगम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष तैनात किया जा सकेगा;

- (3) दो कार्मिकों द्वारा स्वेच्छा से एक दूसरे के स्थान पर (सुगम एवं दुर्गम अथवा दुर्गम एवं दुर्गम अथवा सुगम एवं सुगम कार्यस्थल में) पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर पारस्परिक स्थानान्तरण किये जायेंगे, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा तथा सुगम कार्यस्थलों में ही तैनात दो कार्मिकों को पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य न होगा;
- (4) गम्भीर शिकायतों, उच्चाधिकारियों से दुर्व्यवहार एवं कार्य में अभिरूचि न लेने आदि के आधार पर जाँच एवं आवश्यक पुष्टि के उपरान्त, जहाँ सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाय, ऐसे कार्मिकों के प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जा सकेंगे ;

परन्तु यह कि प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सामान्य प्रकार से शिकायतों के आधार पर प्रेरित होकर अथवा आकस्मिक रूप से नहीं किये जायेंगे और ऐसे स्थानान्तरणों के आदेश-पत्र में प्रशासनिक आधार अंकित किया जाना आवश्यक होगा;

- (5) उपरोक्त खण्ड (1) से (4) के अनुसार की जाने वाली तैनाती/स्थानान्तरण सामान्य स्थानान्तरण से पृथक एवं भिन्न अवधि में भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये जा सकेंगे और इसके लिए प्रकरण को स्थानान्तरण समिति के समक्ष ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी ;

परन्तु यह कि प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर सक्षम अधिकारी को एक स्तर ऊपर के अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

दुर्गम क्षेत्र में
तैनाती प्रोन्नति के
लिए अनिवार्यता

19. (1) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति के लिए यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग कार्मिक द्वारा दुर्गम स्थान पर व्यतीत किया गया हो।

(2) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 30.06.2020 तक की अवधि को संक्रमणकाल मानकर इस अवधि में प्रोन्नति की दशा में, यदि कार्मिक द्वारा, ऐसा आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत नहीं किया गया हो तो प्रोन्नति पर तभी विचार किया जायेगा, जब वह यह बंधपत्र दे कि ऐसा भाग पूरा होने की अवधि तक वह अनिवार्य रूप से दुर्गम स्थान पर तैनात रहेगा ;

परन्तु यह कि ऐसा कार्मिक यदि धारा 7 के खण्ड (घ) से आच्छादित होता हो तो उसे दुर्गम क्षेत्र में तैनात किए जाने अथवा बंधपत्र देने की बाध्यता न होगी ;

परन्तु यह और कि यदि प्रथम पदोन्नति के समय बंधपत्र देकर दुर्गम क्षेत्र में तैनात होने वाला कार्मिक बंधपत्र अनुसार निर्दिष्ट अवधि दुर्गम क्षेत्र में पूर्ण कर लेने के उपरान्त द्वितीय पदोन्नति हेतु कुल अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेता है तो ऐसे कार्मिक के लिए द्वितीय पदोन्नति प्राप्त करने हेतु द्वितीय पदोन्नति के लिए कुल अर्हकारी सेवा की भी आधी अवधि दुर्गम क्षेत्र में सेवा की अनिवार्यता सम्बन्धी प्राविधान बाध्यकारी नहीं होगा; अर्थात् प्रथम बंधपत्र की अवधि के उपरान्त ऐसा कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में, जितनी भी सेवा करने के उपरान्त द्वितीय पदोन्नति हेतु अन्य मानक पूर्ण करता हो तो उसे द्वितीय पदोन्नति हेतु पात्र माना जायेगा।

(3) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति हेतु दुर्गम क्षेत्र में न्यूनतम अर्हकारी सेवा की व्यवस्था पूर्ण रूप से 01.07.2020 से प्रभावी होगी तथा इस तिथि से प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत करना अनिवार्य होगा, तभी प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। सेवा नियमावलियों में उक्त आशय का प्राविधान अलग से किया जाएगा।

(4) जो कार्मिक, अपने सेवा-काल में दुर्गम क्षेत्र में तैनात नहीं हो सके हैं, वे भविष्य में प्रोन्नति हेतु पात्र होने के लिए धारा 13 का खण्ड (1) के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दुर्गम क्षेत्रों में
तैनाती पर दिया
जाने वाला
प्रोत्साहन

20. दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की दशा में कार्मिक को प्रोत्साहन स्वरूप निम्न लाभ अनुमन्य होंगे ; अर्थात् :-

- (क) यदि कोई कार्मिक किसी एक कार्यस्थल पर तैनात है, जो 7000 फीट से ज्यादा पर ...स्थित दुर्गम स्थान पर तैनात है तो वहां पर एक वर्ष के की गई सेवा को 2 वर्ष के सुगम स्थान की सेवा के समतुल्य मानी जायेगी।
- (ख) यदि कोई कार्मिक किसी एक कार्यस्थल पर तैनात है जो 7000 फीट से कम की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम स्थान पर तैनात है तो वहां पर 1 वर्ष की की गई सेवा को 1 वर्ष 3माह के सुगम स्थान की सेवा के समतुल्य मानी जायेगी।

स्थानान्तरण के
अधिकार प्रदान
किया जाना

21. (1) समूह 'क' के अधिकारियों के स्थानान्तरण, इस हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किये जायेंगे तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे ;

परन्तु यह कि जहां विभागाध्यक्ष का पद नहीं है, वहां समूह 'ख' के अधिकारियों का स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किए जायेंगे ;

(2) समूह 'ग' तथा 'घ' के जनपद स्तरीय कार्मिकों, जिनका स्थानान्तरण जनपद में ही किया जाना है, के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति (जिला अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में) द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किये जायेंगे ;

(3) स्थानान्तरण हेतु धारा 23 में उल्लिखित समय-सारिणी के अनुसार इंगित तिथि के पश्चात् समूह 'क' तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किये जा सकेंगे तथा समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण हेतु अधिकृत सक्षम स्तर से एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा किये जायेंगे।

स्थानान्तरित
कार्मिकों को
अवमुक्त किया
जाना

22. (1) स्थानान्तरण आदेशों में यह निर्देश अंकित किये जायेंगे कि वे आदेश के जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित

प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरण आदेश की प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी ताकि वे स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात् उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time)' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य 'यात्रा अवधि (Journey time)' का ही उपभोग कर सकेंगे;

- (2) स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा;
- (3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिनके द्वारा एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी का मंतव्य प्राप्त करते हुए ऐसे प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जायेगा।

स्थानान्तरण हेतु समय सारिणी 23.

प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण हेतु निम्नवत् समय-सारणी होगी; अर्थात्—

(1)	कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य स्थल का मानक के अनुसार चिन्हीकरण की तिथि	31 मार्च
(2)	मंडल स्तर तथा जनपद स्तर पर स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जाना—	1 अप्रैल
(3)	प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची प्रकाशित करना और उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना—	15 अप्रैल

(4)	अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाने की तिथि—	20 अप्रैल
(5)	अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि—	30 अप्रैल
(6)	उक्त 3 व 4 में विकल्प/आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि—	15 मई
(7)	प्राप्त विकल्पों/आवेदन-पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना—	20 मई
(8)	स्थानान्तरण समिति की बैठक तथा सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति देने की अवधि—	25 मई से 05 जून
(9)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अन्तिम तिथि—	10 जून
(10)	निर्गत किये गये स्थानान्तरण आदेश को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना—	स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 2 दिन के अन्दर
(11)	स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि—	स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर
(12)	स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि—	स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर

परन्तु यह कि राज्य सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा समय-सारिणी में आवश्यक परिवर्तन कर सकेगी।

स्थानान्तरण
रोकने के लिए
प्रत्यावेदन एवं

24. (1) यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये

सिफारिश तथा
अधिनियम के
उल्लंघन की
दशा में दंड

जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा;

- (2) यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003" (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ;
- (3) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003" (समय-समय पर यथासंशोधित)के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

कार्यभार टिप्पणी

25.

स्थानान्तरित समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारी द्वारा कार्यभार से मुक्त होने से पूर्व उनके पटल के महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में एक कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा जिसकी एक प्रति गार्ड फाईल में रखी जायेगी और एक प्रति सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

संगत नियमों का
स्थानान्तरण
आदेशों में
उल्लिखित किया
जाना

26.

इस अधिनियम के अनुसरण में किये जाने वाले "स्थानान्तरण आदेश" में सम्बन्धित कार्मिक का किए गए स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित धारा तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने के पश्चात् उन्हें उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

अधिनियम के
क्रियान्वयन में

27.

इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

कठिनाई का निवारण

होगा ;

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें :-

(क) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वन एवं अवस्थापना विकास आयुक्त;

(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त;

(ग) प्रमुख सचिव, कार्मिक सदस्य होंगे, के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और इस समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा।

(2) इस अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली किसी कठिनाई अथवा ऐसा अप्रत्याशित विषय, जो अधिनियम में सम्मिलित नहीं है, के सम्बन्ध में उक्त समिति विचार करके अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी, उसके उपरान्त राज्य सरकार यथा आवश्यक नियम बना सकेंगी।

स्थानान्तरण से 28.
सम्बन्धित
अभिलेखों का
रखा जाना

इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया सम्बन्धी पूर्ण दस्तावेज एवं समस्त अभिलेख अत्यन्त सावधानी पूर्वक संकलित करते हुए व्यवस्थित रूप में एक अलग पत्रावली में रखे जायेंगे और इन्हें प्रत्येक समय उच्चाधिकारियों के निरीक्षण हेतु तैयार रखा जायेगा। इस कार्य को सम्पादित किए जाने का दायित्व स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने वाले सक्षम अधिकारी का होगा। यह पत्रावली कार्मिकों के निरीक्षण हेतु प्रत्येक कार्यालय दिवस पर उपलब्ध होगी तथा किसी कार्मिक को यदि पत्रावली में से किसी प्रपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि की आवश्यकता हो तो उसे 2 रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क लेकर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

{देखिए धारा 3 का खण्ड (झ)}

जनपद स्तरीय स्थल जिनकी तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है, के आधार पर सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र का मानक

प्रत्येक विभाग में जिला से लेकर ग्राम स्तर तक की जाने वाली तैनाती के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विभाग की आवश्यकता के अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण अधिनियम में दिये गये मानकों के अनुसार किया जायेगा।

परन्तु यह कि जो कार्य स्थल 7000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जायेगा।

परिशिष्ट-2

{देखिए धारा 3 का खण्ड (झ)}

सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है, वहां मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रत्येक विभाग के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार जिलावार सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया जायेगा। जिसमें जिला मुख्यालय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र, विकासखण्ड मुख्यालय, जहां पर सामान्य आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज, की सुविधा के आधार पर सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण किया जायेगा।

परन्तु यह कि जो कार्य स्थल 7000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जायेगा।

परिशिष्ट-3 {देखिए धारा 3 का खण्ड (झ)}

सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती केवल जिला मुख्यालय/ निदेशालय मुख्यालय पर की जाती है तथा उनका स्थानान्तरण शासन स्तर से अथवा विभागाध्यक्ष स्तर से किया जाता है उनके लिए विभाग की आवश्यकता की अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण प्रत्येक विभागवार सामान्य आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज, की सुविधाओं के आधार पर सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण उक्त मानकों के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

परन्तु यह कि जो कार्य स्थल 7000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जायेगा।

THE UTTARAKHAND ANNUAL TRANSFER FOR PUBLIC SERVANTS ACT, 2017

(UTTARAKHAND ACT NO. 01 OF 2018)

An

Act

to determine a procedure for proper, impartial, objective and transparent annual transfers etc. of the Uttarakhand Public Servants.

Be it enacted by the Legislative Assembly of State of Uttarakhand in the Sixty eighth year of the Republic of India, as follows: -

Short title and Commencement and Application	1. (1)	This Act may be called the Uttarakhand Annual Transfer for Public Servants Act, 2017.
	(2)	It shall come into force at once.
	(3)	This Act shall be applicable for all services of State except All India Services, State Civil Service and State Police Service and all services under control of High Court and the State Government may, by notification, apply it to Corporation, Board and Local Bodies.
Overriding effect	2.	This Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other service rules before the commencement of this Act.
	3.	In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-
	(a)	“Constitution” means the Constitution of India;
	(b)	“Government” means the Government of Uttarakhand;
	(c)	“Governor” means the Governor of Uttarakhand;
	(d)	“Serious Patient” means the spouse and family (which includes the children of the age up to 18 years and parents) of any employee suffering from a serious diseases and it includes Cancer, Blood Cancer, AIDS/HIV (positive), Heart disease (Having Bypass surgery or Angioplasty done) Kidney disease (dependent on the dialyses due to failure of both the kidneys or kidney transplanted or one kidney removed), Tuberculosis (both the lungs infected or one lung fully damaged), SARS (third stage), epilepsy, mental disease and any such other disease for which State Medical Board doesn’t recommend for

posting in any particular place/area and the committee constituted under section 27 of the Act gives its approval thereon;

- (e) “Disability” means such disabilities which include complete blindness, without both legs, one incomplete leg, paralyzed (one hand or one leg) or regarding of ‘percentage disability’, disability more than 40 percent;
- (f) “Certificate of Competent Authority” means a certificate for ‘serious patient’ issued by the All India Medical Institute, Post Graduate Institute of Medical Sciences, State Medical Board, authorized medical institutions of the State or State/district level authority/committee nominated by the State Medical Department and disability certificate issued by Competent Authority as provided in the relevant Act for disabilities;
- (g) “Fitness Certificate” means certificate issued by the Medical Board/competent authority for being fit to discharge his/ her duty by the employee of serious disease or disability category inspite of being under treatment / disability;
- (h) “Senior employee” means an employee of the age of 55 years and above when the age of retirement is 60 years and the age of 60 years and above when the age of retirement is 65 years as on 31st May of the relevant year;
- (i) “Accessible and Remote areas” means accessible and remote areas mentioned district wise under this Act as per Appendix 1, 2 and 3;
- (j) “Place of posting” means place /site of posting at the time of consideration for transfer of the employee.

Classification of employees for posting

4. The employees shall be classified in the following categories for their posting; namely: -
- (1) such employees for whom there is provision to be posted from district Headquarter to village level;
 - (2) such employees for whom there is provision to be posted at division level;

- (3) such employees for whom there is provision to be posted at State level and their posting is to be done by the Government and Head of department.

Identification
and disclosure
of accessible
and remote
areas

5. (1) Head of the office/Head of the Department, as the case may be, of each department shall proceed to identify the place of postings under accessible and remote areas in accordance to the classification provided in section 4 and take such measures for its disclosure including display in the website of Uttarakhand, as may be necessary for wide circulation and publication.
- (2) Such departments where all work places are classified as per determined norms or above said sub-section (1) in the Appendixes of the Act in view of the special circumstances of the department, the department may predetermine the norms by placing proposal in this regard before the committee constituted under section 27 of the Act.

**Kind of
Annual
transfer**

6. There shall be following kind of Annual transfer, namely: -
 - (a) Compulsory transfer from accessible area to remote area;
 - (b) Compulsory transfer from remote area to accessible area; and
 - (c) Transfer on the basis of request.

**Norms of
compulsory
transfer from
accessible area
to remote area**

7. There shall be following norms for compulsory transfer from accessible areas to remote areas; namely: -
 - (a) The employees, who is posted for 04 years or more at present place of posting in accessible area shall be compulsorily transferred subject to the number of vacancies available and anticipated under section 10 in remote area;
 - (b) The employees, who are working for less than 04 years at present place of posting in accessible area but during whole service period have served in accessible area for more than 10 years, shall also be compulsorily transferred from accessible area to remote area subject to availability of vacancies/posts in remote area as above:

Provided that for the counting of total service period in accessible area the proviso of definition of accessible area given in Appendix specified in section 3 of this Act shall also be taken into consideration;

(c) The employee being transferred to remote areas from accessible areas shall compulsorily be transferred to accessible area again on completion of minimum period prescribed for posting in remote areas and the date of their reliving from remote areas shall be clearly mentioned in their transfer order also;

(d) The employees under following categories shall exempted from compulsory transfer from accessible area to remote area; namely: -

- (i) Senior employees;
- (ii) Such employees who have already completed minimum 10 years service in remote areas, and;
- (iii) The employees seriously ill/disabled under section 3 and who submit a certificate from competent authority.
- (iv) Such spouse whose only son/daughter is included in definition of disability;
- (v) Spouse of employees posted in military and Para military force.

8. The maximum ceiling of compulsory transfer from accessible area to remote area shall be as follows, namely: -

**Maximum
ceiling of
Transfer**

The compulsory transfer from accessible area to remote area shall be made up to the limit of availability of vacancies in remote areas in the concerned cadre. The counting of eligible employees for such transfers shall be done in order of total service rendered in accessible area during the whole service period, i.e., such employees who have completed more than 04 years posting in accessible area or whose total service in accessible area during the whole service period has been more than 10 years and who do not fall under any exemption shall be identified for transfer upto the limit of availability of vacancies in remote areas of concerned cadre by placing

them in descending order according to their total period of posting in accessible area.

To prepare a list of eligible employees for compulsory transfer to remote areas from accessible areas and inviting options

9. For compulsory transfer to remote area from accessible areas, a list of eligible employees up to the available and anticipated vacancies in remote areas shall be prepared. On preparation of such list, options shall be invited from eligible employees for maximum 10 remote places by publishing or circulating a list of available and anticipated vacancies in remote areas. It shall be compulsory for the employees to give option in preferential order. A list of eligible employees for transfer and of vacancies shall also be displayed in the website of Uttarakhand.

Norms of compulsory transfer from remote area to accessible areas

10. There shall be following norms for compulsory transfer from remote area to accessible area; namely: -
 - (a) The employee who is posted for 03 years or more at the place of their present posting in remote areas shall be compulsorily transferred to accessible area.
 - (b) If any employee is working for less than 03 years at their present place of posting but have served in remote area during whole service period for more than 10 years, shall be compulsorily transferred from remote area to accessible area. To determine such period, the proviso of definition of remote area mentioned in Appendix specified under section 3 shall be taken into consideration:

Provided that while counting this period only such period shall be counted during which the employee was actually working in the remote area, if he is attached to accessible area, then period of attachment in accessible area and the period of leave excess to one month in a year shall not be counted for the purpose of calculating the period of posting in remote area.

Maximum ceiling of compulsory transfer

11. The maximum ceiling of compulsory transfer from a remote area to accessible area shall be as follows; namely: -

- (a) The compulsory transfer from a remote area to accessible area shall be made upto a limit of total vacancies available and anticipated under section 7 in accessible area in concerned cadre. The counting of eligible employees for transfer shall be done in order of period of total service rendered in remote area during whole service period;
- (b) Such employees who are posted for more than 03 years at their place of posting or rendered services for more than 10 years, during the whole service period in remote area shall be identified for transfer in descending order according to the total period of posting in remote area in their whole service period upto the limit of availability of vacancies in accessible area.

To prepare a list of eligible employee for compulsory transfer from remote areas to accessible area and inviting options

12. A list of employees eligible for compulsory transfer from remote area to accessible area shall be prepared. By publishing/circulating vacancies available and anticipated in accessible areas, option shall be invited from the eligible employees for maximum 10 desired places. It shall be compulsory for the employees to give his option in preferential order. Vacancies and list of employees eligible for transfer shall also be displayed in the website of Uttarakhand.

Transfer on the basis of request

13. The following procedure shall be adopted for transfer on the basis of request; namely:—

- (1) Any employee shall be eligible to apply for transfer on request from accessible area to remote area;
- (2) An employee eligible for transfer from remote area to accessible area on completing three years in a particular remote place or 10 years in remote area during whole length of service, shall be eligible to apply for transfer on request in remote area only:

Provided that the place opted for transfer shall be out of his/her home development block and such employee shall not be posted again to the place from where he/she has been transferred before the period of 6 years.

(3) In case, a husband/wife serving in Government of Uttarakhand wishes to be posted at same place in a accessible area or remote area, they shall be eligible to request for transfer/posting at one place accordingly, but after such posting the spouse shall be eligible for transfer in general transfer season if he/she fulfills the norms of 05/03 years service in a particular place or 10 years total service.

(4) The employees, on the basis of their own or spouse's (as applicable) serious illness/ disability shall be eligible to request for transfer to area/place of their choice.

(5) Parents of mentally retarded children or suffering from such illness which has caused total dependance on others for care/routine activities, on the basis of certificate from Medical Board, shall be eligible to apply for transfer on request from accessible to remote or remote to accessible area/place for proper medical treatment of their child; and

(6) Widow, widower, divorcee declared by competent court, divorce employee and senior employee shall be eligible to request for transfer to area of their choice.

Note:- Transfer on request may be made against the available vacancies published under section 12 and request shall not be admissible for the post which is not vacant.

**Inviting
Application
for transfer
on the basis
of request**

14. Applications for transfer shall be invited along with the option for maximum 10 desired places on the basis of request from employees by displaying the available and anticipated vacancies on the notice board of concerned offices and on the website of Uttarakhand. It shall be compulsory for the employees to give his option in preferential order.

**Determination of
a prescribed date
for counting for
transfer**

15. (1) Counting of period for the purpose of transfer shall be done on the basis of date of 31st May of each year.

**Constitution
of transfer
Committee
and duties of
the Committee**

(2) All such offices/ Institution, where the period of alteration of charge is not determined, the alteration in charge /transfer may be done in the interval of five years.

16. (1) For the transfers of employees, a permanent transfer committees shall be constituted by each department at government level, head of the department, division and district level. In addition to the officers of the concerned department an officer from another department shall also be nominated. At government level, an officer shall be nominated by the Personnel Department in the transfer committees of other departments except in Forest and Infrastructure Development Commissioner Branch, Agriculture Production Commissioner Branch and Social Welfare Commissioner Branch. For transfers in the departments falling under above mentioned branches, the nomination of an officer of any other department of the branch in transfer committee shall be made by the head of the concerned branch.

(2) The Chairman of each committee constituted at the district level for transfer of employees of district level cadre within the District shall be the District Magistrate or an officer nominated by him.

(3) All the proposals, applications and options received for transfer and details of vacancies in remote and accessible areas shall be placed before the committee constituted for this purpose by the concerned department. The certified list of employees eligible for transfer according to aforesaid Section 9, 12 and 13 shall also be placed before the transfer committee.

(4) The committee shall prepare minutes after consideration on the basis of provisions of this Act, regarding each employees applying for transfer whose details are placed before the committee wherein the basis of allotting vacancy to the employee to be transferred namely, "option", "own request", "medical", "disabled", "senior employee" etc shall be clearly mentioned. The committee shall give in its minutes, with reason, a separate list of employees whose transfer could not possible to be recommended as per the provisions of this Act.

Consideration on transfer proposals by transfer committee

(5) Transfer orders as per recommendations of the transfer committee shall be issued by the competent authority.

17. (1) The transfer committee shall consider the transfer proposal under this Act in the following order: -

(a) **Compulsory transfer from accessible place to remote area: -**

The transfer committee shall firstly consider the compulsory transfer from accessible area to remote area; namely: –

First of all, the transfer shall begin from the employee spending longest time in accessible areas during their whole service period and option given by such employee for vacancy of remote area shall be accepted; namely –

Considering the employees one by one in descending order as per length of service rendered in accessible area during whole service period shall be allotted vacancy available in the remote area according to the option:

Provided that if more than one employee out of total employees identified for transfer have given option in same preferential order for a particular vacancy identified in remote area, the vacancy shall be allotted to such employee who have served for the least period in accessible area:

Provided further that in case, inspite of consideration as above still remains some employees who have not been able to get the place of their desired option or there is any such employee who has not given any option, the transfer committee shall prepare a list of such employees as well as vacancies in order of their serial number in the original list of the employee identified for transfer and available vacancies and each employee of the list so prepared shall be allotted a vacancy mentioned in same order in the list of remaining vacancies.

(b) **Transfer on the basis of request: -**

After compulsory transfer under clause (a) above, the transfer committee shall consider the transfer of employees eligible for transfer on the basis of request in the following order: -

- (i) request by seriously ill/disabled employees or request made on the basis of spouse's serious illness/disability(as applicable);
- (ii) request by parents of mentally retarded and helpless children;
- (iii) serving husband/ wife whose only son/ daughter is disabled;
- (iv) request by husband/wife serving in Government of Uttarakhand for posting in same place/area;
- (v) request by widow, widower, divorcee declared by competent court and divorce employee and senior employees;
- (vi) request for transfer from remote place to remote place/area;
- (vi) At last, request for transfer from accessible area to remote area.

(c) Compulsory transfer from remote area to accessible area: -

The transfer committee, after considering transfer mentioned in clause (a) and clause (b) shall dispose off the matter of compulsory transfer from remote area to accessible area as follows: -

- (i) The employees eligible for transfer from remote area to accessible area shall be arranged in descending order starting from the employee having longest period of service rendered in remote area during the whole period of service;
- (ii) from the list prepared as above, the husband/wife serving in Government of Uttarakhand shall be allotted the desired place of vacancy, if available;
- (iii) Starting from the employee having served for the longest period in remote area, desired place shall be allotted as per availability of the vacancy. In the same order desired place shall be allotted to the other employee in descending order on availability of vacancy:

Provided that if option is given in same preferential order by more than one employee for a particular vacancy in

accessible area, the vacancy shall be allotted to such employee who has served for longest period in remote area:

Provided further that in case, inspite of consideration as above still remains some employees, who have not been able to get the place of their desired option, the transfer committee shall prepare a list of such employees as well as vacancies in order of their serial number in the original list of the employees identified for transfer and available vacancies and each employee of the list so prepared shall be allotted a vacancy mentioned in same order in the list of remaining vacancies.

- (2) The transfer committee shall take decision by taking into consideration the following facts while considering on options given for transfer by the employees: -
- (a) Officers of group 'A' and 'B' shall not be posted in their home district;
 - (b) Clerical and non-administrative employees of group 'C' and employees of group 'D' may be posted in their home district except in their home place. "**Home district**" means such village/zone/tehsil of which he is domicile;
 - (c) Transfers on administrative ground shall not be made from accessible to accessible place/area and such employee shall not be posted again in that district/place before expiry of 05 years in any circumstances;
 - (d) The President /Secretary of recognised service organisations of government servants, which also includes president/secretaries of district branches, may not be transferred during the period of their holding office till remaining in their post or 02 years from the date of holding office, in the organisation, whichever is earlier, but other provisions of this Act shall duly applicable to them.
 - (e) Transfers shall be made only against cadre post/ places and shall not be made against the post /places which are out of

the cadre (such as, inter district/inter divisional transfers for district/ divisional cadres):

Provided that cadre change/out of cadre transfer of any employee shall be allowed in case of marriage between two employees or displacement of employee due to acquisition of properties for development projects/natural calamity subject to the condition that such employee shall be treated as junior most in the new cadre and approval of the committee constituted under section 27 shall be necessary to obtain.

**Procedure of
Posting on
Appointment/
Promotion and
other Transfer**

18. In addition to annual/general transfer, the procedure of posting in appointment/promotion and other transfers shall be in following conditions, as follows:-

(1) At the time of first appointment, posting shall compulsorily be made in remote areas.

(2) At the time of promotion, the posting shall essentially be made in remote areas subject to the conditions of clause (d) of section 7:

Provided that if the post of promotion does not exist/is not vacant in remote areas, the posting after promotion may be made against vacancy available in accessible areas;

(3) Mutual transfers of two employees shall be made on willingness for transfer in place of each other (accessible and remote or remote and remote or accessible and accessible for which no travelling allowance shall be allowed and mutual transfer shall not be admissible between two employees working in accessible places;

(4) On enquiry, on the grounds of serious complaints of misconduct, misbehavior with senior officers and lack of interest in work etc. after necessary enquiry and confirmation, transfer of such employee may be made on administrative grounds:

Provided that the transfer on administrative grounds shall not be made casually or on the basis of complaints of routine nature and in the orders of such transfer it shall be necessary to mention Administrative Grounds.

- (5) The competent authority may issue posting/transfer orders besides the transfer to be made as per clause (1) to (4) aforesaid in separate and different period also and it shall not be necessary to bring such cases before the transfer committee:

Provided that on transfers made on administrative grounds the competent authority shall have to take approval from the one rank higher officer.

**Compulsory
norm for
promotion
Posting in
remote areas**

19. (1) For first and second promotion, it shall be compulsory for employee to spend minimum half period in the remote area of the minimum qualifying service prescribed for such promotion;
- (2) Assuming the period from the commencement of this Act upto 30.06.2020 as transition period during this period, in case of promotion of an employee, if he/she has not spent such half period in a remote area, the promotion shall be considered only if the employee gives an undertaking that he/she shall remain posted compulsorily in a remote area till completion of such period:

Provided that in case such employee is covered by clause (d) of section 7, he shall not be bound to give an undertaking as aforesaid or to be posted in remote area:

Provided further that the employee posted in remote area after giving an undertaking at the time of first promotion, completes total qualifying service for second promotion after completing the period as mentioned in the undertaking in remote area, the provision of spending half of the qualifying service in remote area for second promotion shall not be binding on such employee and after completion of the period of undertaking if such employee fulfills other norms for second promotion with whatever period of service in remote area, shall be considered eligible for second promotion.

- (3) The provision of minimum qualifying service in remote areas for first and second promotion shall wholly effective from 01.07.2020 and there from for promotion, minimum half of the qualifying service shall have to be compulsorily spend in remote areas, only then the promotion shall be considered. A provision is in this regard shall be separately made in the service rules.
- (4) Those employees who have not been able to be posted in remote areas during their service period, may apply for transfer on the basis of request in remote areas as per clause (1) of Section 13 for being eligible for promotion in future.

Incentive to be given on posting in remote areas

20. In case of posting in remote areas employee shall be allowed following benefits as incentive, namely: -

- (a) In case, any employee posted in any remote work place situated on more than 7000 feet height, then one year service shall be considered equivalent to two year service in accessible place.
- (b) In case, any employee posted in any remote work place situated on less than 7000 feet height, then one year service shall be considered equivalent to one year three months service in accessible place.

Providing powers for transfer

21. (1) Transfers of the officers of Group 'A' shall be made by the Government on recommendations of the transfer committee constituted for this purpose and transfers of officers of Group 'B' shall be made by head of the concerned departments on the basis of recommendations of transfer committee:

Provided that where there is no post of head of the department, the transfers of officers of Group 'B' shall be made by Government on recommendations of transfer committee.

- (2) The transfers of district level employees of Group 'C' and 'D' whose transfers are to be made within the district, shall be made by the appointing authority on the basis of recommendations made by the committee (under the Chairmanship of District Magistrate or an officer nominated by him) constituted at district level for transfer;

	(3)	After the date indicated as per time table mentioned in Section 23 the transfers of officers of Group 'A' and Group 'B' transfers may be made with the approval of the Chief Minister and of employees of Group 'C' and Group 'D' shall be made by the authority of one rank higher of the competent authority for making such transfers.
Reliving of the transferred employee	22.	(1) Instructions shall be given in the transfer orders itself to take charge without waiting for the reliver within certain date/one week from the date of issue of the order. The concerned authority shall accordingly relieve the transferred employee immediately. A copy of transfer order shall be sent to the concerned treasury officer so as to not to draw his pay after seven days of issue of transfer order of transferred employee. The relieved employee may be able to avail the 'joining time' allowed as per rules only after taking charge of the post of new posting and they will avail only journey time after relieving as per rules; (2) Transferred employee shall not be sanctioned leave of any kind. (3) In case of charge not being taken by employee at the place of new posting, punitive action shall be taken against such employee under section 24. (4) A representation may be given by transferred employee to remove any pithy/ typing error existing in transfer order within three days after issuing of transfer order to one rank higher officer than transferring authority, who shall within one week after receiving opinion from transferring authority shall dispose the representation.
Time table for transfer	23.	For general transfers in each year, following time-table shall be observed; namely:- (1) Date of identification according to standard of work place by head of office/ head of department- 31 March. (2) Constitution of transfer committee at government level, head of the department level, division level

- and district level by all the departments:- 1, April
- (3) Publishing and displaying on website a list of working places of accessible/remote areas, employees eligible for transfer, available and anticipated vacancies for each cadre:- 15, April
- (4) Date of inviting options for maximum 10 desired places from the employees eligible for compulsory transfer:- 20, April
- (5) Date of inviting application for transfers on the basis of the request:- 30, April
- (6) Last date of receiving option/application under 3 and 4 above:- 15, May
- (7) Displaying on website the details of options/applications received: 20, May
- (8) Meeting of transfer committee & period of giving recommendations to competent authority :- 25 May to 5 June
- (9) Last date of issuing transfer orders by the competent authority:- 10, June
- (10) Displaying transfer orders on website of Government of Uttarakhand:- Within 2 days
- from the issue of transfer orders
- (11) Last date of relieving of transferred employees:- Within 7 days from the issue of transfer order.
- (12) Last date of assuming charge by transferred employees:- Within 10 days

from the issue
of transfer
order.

Provided that the State Government from time to time,
may make necessary amendment in the time table by issuing
an order.

**Representation and
recommendation to
stay the transfer
and penalty on
violation of the Act**

24. (1) In case representations are received from parents, spouse or other relatives the transferred employee for staying of transfer, it shall be compulsory kept in the personal file of employee and such representations shall not be forwarded and such conduct shall be entered in the Annual Confidential Report of the concerned employee also.
- (2) In case any Government servant endeavor to make pressure against the transfer order, the disciplinary action, according to the relevant provisions of the Uttarakhand Government Servant (Discipline and Appeal) Rule, 2003(as amended from time to time) shall be taken against such employee by treating such act/conduct a violation of “Government Servant Conduct Rules”.
- (3) Any one who fails to comply with any order or direction given under this Act within the period as specified in the said order or direction or violates or attempt to violate any provision of this Act, shall be punishable under relevant provisions of “the Uttarakhand Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 2003 (as amended from time to time).

- Charge note** 25. Before relieving of transferred officers of Group ‘A’ and ‘B’, it shall be necessary to prepare a charge note regarding the important cases/development programs etc. of their charge, one copy of which shall be kept in guard file and one shall be forwarded to the concerned controlling officer.

**Relevant
Rules to be
mentioned in
Transfer
Orders**

26. In the ‘Transfer order’ to be made in pursuance of this Act, it shall be necessary to mention the relevant section and procedure of transfer of the

concerned employee. It shall also be displayed on the website of Uttarakhand after the issue of transfer orders.

Removal of difficulties in the application of the Act

27. (1) After the promulgation of this Act, this Act shall have over-riding effect on Acts/Annual Transfer Policies of other departments:

Provided that if any change in any provision of this Act, is required by any department due to any specific circumstances of the department or any deviation in necessary or relaxation is indispensable, the proposal of such changes/ deviations/ relaxations shall be submitted with reasons before the committee constituted under the Chairmanship of Chief Secretary and consisting the following members:-

- (a) Additional Chief Secretary/Principal Secretary Forest and Infrastructure Development Commissioner;
 - (b) Additional Chief Secretary/Principal Secretary Agricultural Production Commissioner; and
 - (c) Principal Secretary, Personnel as its member and necessary changes/deviations/relaxations shall be allowed after the approval of the Chief Minister on recommendations made by this committee.
- (2) This committee shall submit its recommendations for the approval of Chief Minister regarding the difficulties arising in application of this Act or such unforeseen matters which are not included in this Act, thereafter the State Government may make rules as required.

Records concerning the transfers to be kept

28. Complete documents and all records pertaining to the procedure adopted for transfer under this Act shall be kept in a proper manner in a separate file after carefully compiling them and these documents/records shall be kept ready for inspection of senior officers. It shall be the responsibility of the officer issuing the transfer order to execute this work. This file shall be available on each working day for the inspection of employee and in case, any employee needs a certified copy of any documents from this file, it may be made available after taking fee of Rs.2.00 per page.

-----X-----

Appendix – 1

{See clause (i) of section 3}

The norms of accessible and remote area on the basis of the district level places which is posted from district headquarters to village level

Identification of accessible and remote areas for the posting to be done from district to the village level in every department shall be made by the committee constituted under the chairmanship of the District Magistrate, according to the norms given in the Act as per the requirement of the department.

Provided that the working place which is located at height of more than 7000 feet, the one year posting there shall be deemed equivalent to two years posting in remote area.

Appendix — 2
{See clause (i) of section 3}

Definition of accessible and Remote areas

The personnel who are posted in the district headquarters, Tehsil headquarters, Block Development headquarter, Municipal Corporation/ Municipal Board/ Nagar Panchyat, identification of accessible and remote areas district wise shall be made as per the requirement of the department by the committee constituted under the Chairmanship of the commissioners. In which the accessible and remote area shall be identified on the basis of general infrastructure facilities such as road, Electricity, Water, Education, Medical, Train and Aeroplane in the District headquarters, Municipal Corporation, Municipal Board, Nagar Panchayat area, Development block headquarters.

Provided that the working place which is located at height of more than 7000 feet, the one year posting there shall be deemed equivalent to two years posting in remote area.

Appendix— 3

(See clause (i) of section 3)

Definition of Accessible and Remote areas

The personnel who are posted only in the district headquarters/ directorate headquarters and they are transferred from the Government level or from the Head of Department level, the identification of accessible or remote areas for them according to the requirement of the department, shall be made on the basis of connectivity of the Road, Electricity, Water, Education, Medical, Train and Aeroplane as per the general infrastructure of each department according to the said norms.

Provided that the working place which is located at height of more than 7000 feet, the one year posting there shall be deemed equivalent to two years posting in remote area.
